

फार्म पी0आर0-38

स्टॉक और गोदाम केन्द्रों के पाक्षिक/निरीक्षण सम्बन्धी नोट

क्र०	ब्यौरा	गोदाम की सं० कमरों की सं०
1.	(क) पिछली निरीक्षण की (ख) वर्तमान निरीक्षण की	
2.	उस अधिकारी का नाम जिसने पिछला निरीक्षण किया हो।	
3.	गोदाम के इन्चार्ज <u>उप-निरीक्षक/सहायक</u> निरीक्षक, खाद्य तथा रसद का नाम और वह तिथि जबकि उसने वह कार्यभार सम्भाला।	
4.	चौकीदार का नाम और वह तिथि जब से उसे गोदाम की चौकसी सौंपी गई है।	
5.	क्या आपके विचार में वर्तमान पहरा चौकसी का वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त है?	
6.	यह जानने के लिए कि चौकीदार पहरे पर था या नहीं निरीक्षकों/सहायक निरीक्षकों, खाद्य और रसद, द्वारा एक पखबारे में कितनी बार रात के समय अचानक मुआयना किया गया है।	
7.	(क) गोदाम कच्चा बना हुआ है या पक्का। (ख) क्या सभी दरवाजों को हरा ताला लगा है?	
8.	क्या सभी रोशनदान और खिडकियां चोरी के बचाव के लिए सुरक्षित हैं और चूहे, पक्षियों आदि को रोकने के लिए अन्दर से तार की जाली लगाई हुई है?	
9.	गोदाम में रखे हुई अनाज की मात्रा और नाम दें। क्या वह थैलों में है या ढेर के रूप में?	
10.	यदि अनाज थैलों में है, तो गोदाम कार्ड के अनुसार उसकी संख्या दें।	
11.	क्या थैले गिनती करने योग्य क्रम में हैं? क्या आपने सबको गिना है और यदि गिना है तो क्या उनकी संख्या गोदाम कार्ड के अनुसार ठीक है?	
12.	गोदाम को कब भरा गया था?	
13.	स्टॉक की वर्तमान स्थिति कैसी है?	
14.	सामान्य कथन, सुझाव और टिप्पणी, आदि कोई हो।	
15.	क्या निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये सुझावों और हल्का अधिकारी द्वारा जांच सम्बन्धी नोटों पर किए गए आदेशों पर शीघ्र कार्यवाही की गई थी?	

हिदायतों के लिए दूसरी ओर देखें

हिदायतें

1. सभी विषयों के बारे में कार्यवाही वहीं तुरन्त होनी चाहिए। यदि कार्यवाही तुरन्त संभव ना हो, तो हिदायत इस फार्म में दर्ज किया जाना चाहिए।
2. इस निरीक्षण के उद्देश्य के लिए एक भवन या उस स्थान की सीमा में जितने भी कमरे हों उन सब को स्टॉक गोदाम ही समझना चाहिए।
3. आगे और ब्यौरा या टिप्पणी, यदि कोई हो, तो दूसरी ओर लिखें।
4. इस फार्म को पालिक रूप में अवश्य भरें.....गोदाम में कमरों की गिनती का ध्यान रखते हुए प्रत्येक गोदाम के लिए एक फार्म भरें।

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. केन्द्र पर गेहूँ का स्टॉक पी0आर0 6 व पी0आर0 7 के अनुसार ठीक है।
2. केन्द्र का गेहूँ का खुला स्टॉक कवर, तिरपाल तथा नेट से ठीक प्रकार से ढका हुआ है।
3. गेहूँ के प्रत्येक स्टेक के पी0आर0 1, 7-ए तथा 7-बी कार्ड नियमानुसार तैयार किए गए हैं।
4. केन्द्र का सारा पी0आर0 रिकार्ड पूरा है।
5. केन्द्र पर फ्यूमिगैटस का बकाया स्टॉक पी0आर0 एफ0-6 के साथ मिलान खाता है।
6. गेहूँ के स्टॉक को ट्रीटमेंट नियमानुसार ठीक किया जा रहा है।
7. प्रत्येक चौकीदार की ड्यूटी लिखित रूप में लगाई गई और प्रत्येक चौकीदार वास्तव में अपनी ड्यूटी पर हाजिर है।
8. केन्द्र पर कोई पी0आर0-57 रिपोर्ट बकाया नहीं है और पी0आर0-40 की इनवेन्ट्री के अनुसार सभी नकारा वस्तुओं की पी0आर0-57 अप-टू-डेट है।
9. केन्द्र पर नकारा तथा प्रयोग योग्य वस्तुएं अर्थात् स्टॉक आर्टिकल्ज गिनती योग्य दशा में पड़ी हैं। केन्द्र की पी0आर0-38 रिपोर्ट पर निरीक्षक इन्चार्ज तथा उपनिरीक्षक इन्चार्ज के भी हस्ताक्षर होने चाहिए।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
उप-नि0खा0एवं पू0.....	नि0खा0 एवं पू0.....	स0खा0एवं पू0 अ0.....
नाम	नाम	नाम
दिनांक.....	दिनांक	दिनांक

प्रति हस्ताक्षर

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक

नाम

दिनांक